फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
श्रीमती पप्पू कँवर पत्नी नैनसिंह		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–117/2021
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.10.2021	प्रार्थी श्रीमती पप्पू कँवर पत्नी नैनसिंह जाति राजपूत निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प हरियाढाणा** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2247 रकबा 1.9092 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि को वादी ने हड़मानराम, बींजाराम पिसरान धन्नाराम, सुवटी पत्नी धन्नाराम जातियान कुम्हार निवासीगण तहसील बिलाड़ा वालों से जरिये रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 03.10.2006 को खरीद किया है। उस बैचाननामा में वादी ने भूलवश अपने पति का नाम नैनसिंह के बजाय करणसिंह दर्ज करवा दिया। जबकि प्रार्थी के पति का वास्तविक नाम नैनसिंह है तथा सरकारो दस्तावेज भी नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में पप्पू कँवर पत्नी करणसिंह के स्थान पर पप्पू कँवर पत्नी नैनसिंह की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी पप्पू कँवर ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। तथा वादी के समर्थन में अपना गवाह नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह तथा कुन्दनसिंह पुत्र उदयसिंह के बयान कलमबद्ध कराये गये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी पप्पू कँवर का आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधारकार्ड, यूकोबैंक की डायरी तथा अपने पति नैनसिंह का पहचानपत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरियाढाणा द्वारा जारी की गयी टी.सी. नैनसिंह पुत्र संग्रामसिंह, जमाबंदी संवत् 2074 से 2077, बैचाननामा हड़मानराम बहक श्रीमती पप्पू कँवर दिनांक 03.10.2006 आदि को पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत हरियाढाणा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 29.10.2021 को पेश किया है। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने [illegible] दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब पेश किया, [illegible] जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने बजरिये बहस में निवेदन किया कि मेरा तथा मेरे पति का नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में पप्पू कंवर पत्नी करणसिंह गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मैं कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रही हूँ। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्वातेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम पप्पू कँवर पत्नी नैनसिंह के बजाय पप्पू कंवर पत्नी करणसिंह दर्ज कर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:12 IST
Reason: SelfAttested

	दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2247 रकबा 1.9092 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में पप्पू कंवर पत्नी करणसिंह के स्थान पर पप्पू कँवर पत्नी नैनसिंह की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम हरियाढाणा में खुले में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा	

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प हरियाढाणा

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम**
प्रतिवादी

वादी	प्रतिवादी
श्रीमती पप्पू कँवर पत्नी नैनसिंह जाति राजपूत निवासी हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 117/2021

निर्णय **दिनांक** :— 29.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन[illegible] हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददा[illegible] होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम खोजानगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1.9092 हैक्टेयर को खातेदारी भूमि में श्रीमती पप्पू कंवर पत्नी करणसिंह के स्थान पर [illegible] पप्पू कंवर पत्नी नैनसिंह की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:12 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि”नर			फीस कमि”नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 15:58:12 IST
Reason: SelfAttested